

संख्या-22/2025/915 /छिद्वत्तर-1-2025-क.सं.-1772430

प्रेषक,

डा० अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

पुनर्विभाग-

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय: प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति। (अनुदान संख्या-93)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4977 /ई-2(ओ.एण्ड एम.) /2024-25 Fin-3, दिनांक 26 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-93 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण मद में रु 52003.00 लाख धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रुपये 52003.00 लाख (रुपये पांच अरब बीस करोड़ तीन लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (i) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा एवं इस हेतु वचत मद से पुनः धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो, इसका समस्त दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (iii) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, स्वीकृत धनराशि के व्यय / उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (iv) जिन मामलों में 30प्र0 वजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (v) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

- (VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (VIII) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2024/ वी- 1-294/ दस- 2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4- उक्त पर होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-93 के लेखाशीर्षक -4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-02-जल जीवन मिशन-0201-जल जीवन मिशन (के0 50/रा0 50-रा0)-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।
- 5- संदर्भित मामले में पुनर्विनियोग की गई धनराशि विषयक बी.एम.-9 विषयक प्रपत्र सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त संलग्न है।
- 6- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के आर.ई.संख्या-बजट-1-882 दिनांक 29.03.2025 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

Signed by

Amish Kumar Singh

Date: 30-03-2025 18:40:07

संख्या: 22/2025/915 (1)/छिद्वत्तर-1-2025-कम्प्यूटर.सं.-1772430 तदिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by

Om Prakash Chauhan

Date: 30-03-2025 18:42:00

सूचना: /छिहत्तर-1-2025, तृह्तिांक।

ऊक की प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मरुतलेखाकार, (लेखा एवं ह्कदारी) प्रथम /द्वितीय, प्रयागराज, 3000।
2. मरुतलेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, 3000, प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०२/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-२।
8. गार्ड यूक।

आना से,


(औस प्रकारा चौहान)
अनु सचिव।